

उप निदेशक (प्रशासन),  
मुख्यालय एवं समन्वयक।

विषय:-डी0बी0सि0अव0याचिका संख्या 553/2014 अन्तर्गत डी.बी.स्पे अपील (रिट)  
संख्या: 1342/2011 (अन्तर्गत एस0बी0 सि0 रिट याचिका संख्या  
10681/2008) हेमन्द्र कुमार साल्वी (अस्सिस्टेंट रेडियोग्राफर (रूलर)) बनाम श्री  
दीपक उप्रेती, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान  
जयपुर व अन्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त अवमानना प्रकरण में प्रत्यर्थांगण की ओर से आपको समन्वयक एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है। अतः आप इस प्रकरण के लिए श्री संजय कुमार शर्मा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर से सम्पर्क कर अवमानना प्रकरण का जवाब तैयार करवाकर माननीय न्यायालय में पेश कराने की कार्यवाही करावें जिससे इस प्रकरण का निस्तारण हो सकें।

उक्त अवमानना प्रकरण में माननीय न्यायालय से प्रत्यर्थांगण संख्या (1) व (2) के नाम प्राप्त अवमानना नोटिस मय अवमानना याचिका की छाया प्रति एवं उनकी ओर से हस्ताक्षरित वकालतनामा संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं।

प्रकरण में अवमानना याचिका की प्रति संलग्न कर लेख है कि पारित निर्णय की पूर्ण पालना सक्षम स्तर से कराये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.7( )/निचिस्वा/विधि/ 10/513 दिनांक 24.02.10 में वर्णित निर्देशानुसार पारित निर्णय की पालना संबंधी दायित्व का निर्वहन करते हुये प्रकरण में आप द्वारा की गई कार्यवाही से राज्य सरकार एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को समय-समय पर अवगत कराते रहे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक:- 7-10-11

क्रमांक: प.7(897)/निचिस्वा/विधि/अव./2014/293

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), मुख्यालय को मय अवमानना याचिका की प्रति संलग्न प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में समन्वयक को आवश्यक जवाब हेतु तथ्यात्मक स्थिति भिजवाते हुये जवाबदावा प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करावें। संलग्न:-उपरोक्तानुसार।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर।
3. श्री संजय कुमार शर्मा, एडिशनल गवर्नमेंट कौंसल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. डीलिंग अस्सिस्टेंट, उच्च न्यायालय जयपुर सीट, विधि अनुभाग, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि प्रकरण में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील/नो अपील का निर्णय करवाकर वांछित अग्रिम कार्यवाही शीघ्र करावें।
5. प्रभारी सर्वर रूम को मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड एवं ई-मेल करने बाबत।
6. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, विधि अनुभाग, मुख्यालय।
7. रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर